मु.अ. 33-4-2000-10 लाख फा.

A P P-A
crim-I

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

बअदालत SDO बांसवाड़ा मुकाम बांसवाड़ा (राज.)

श्री वरदा पुत्र दीपा भील कौरव निवासी पिपलोद तह. बांसवाड़ा बनाम श्री चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल चौबीसा नि० बांसवाड़ा

किस्म मुकदमा धारा 88 R.T.Act नं. 90/सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19/8/04	पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर पेश हुई वादीगण श्री वरदा पिता दीपा भील कौरव निवासी पिपलोद द्वारा दावा अंतर्गत धारा 88 R.T.Act प्रतिवादी श्री चुन्नीलाल पिता प्रभुलाल चौबीसा निवासी बांसवाड़ा के विरुद्ध पेश किया है प्रतिवादी के नाम नकल जारी कर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 29-9-04 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा (राज.)	
29/9/04	वकील वादी हाजिर/ प्रतिवादीगण गैर हाजिर/ नकल तामील होकर नहीं लौटी है श्रीमान् SDO का राजकीय कार्य से दौरे में पधारे है पत्रावली दिनांक 8-11-04 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
..04	वकील वादी उपस्थित प्रतिवादी ... SDO का ... कार्य ... दिनांक 17-1-05 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:38 IST
Reason: SelfAttested

Ex. 1 Ex. 2

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.10.22	पत्रावली पेश हुई उभयपक्ष उपस्थित बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते आदेश आगामी दिनांक 09-11-2022 को पेश हो	
9.11.2022	पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील अनुपस्थित पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 7.12.2022 को पेश हो	
7.12.22	पत्रावली पेश। उभयपक्ष उप०। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 21.12.2022 को पेश हो	
21-12-2022	पत्रावली पेश हुई वादी प्रतिवादी वकील अनुपस्थित पीठासीन PO RPSC IInd ग्रेड परीक्षा केन्द्रों के भ्रमण व कानून व्यवस्था में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] दिनांक 26.12.2022 को पेश हो	
26-12-2022	पत्रावली पेश हुई वादी-प्रतिवादी वकील अनुपस्थित पीठासीन PO RPSC IInd grade परीक्षा केन्द्रों के भ्रमण में व्यस्त होने से पत्रावली [illegible] दिनांक 16-1-2022 को पेश हो	
16.1.23	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उप० आये। पत्रावली के अवलोकन, अध्ययन के पश्चात अधिवक्ता उभयपक्ष बहस पर गौर करते हुए … स्वीकार किया जाता है … पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली है मुताबिक 15 डी प्रार्थी	

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:38 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले इजलास सुनाया गया। [signature]

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash C
Regar
Date: 2023.01.25 15:42:38 IS
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास प्रकाश चन्द्र रेगर (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या– 90/2004 दायर दिनांक–19.08.2004

उनवान

1. वरदा पुत्र दीपा जाति भील निवासी पिपलोद व अन्य
2. स्व. खातु पुत्र दीपा जाति भी निवासी पिपलोद के वारिस केशवलाल पिता श्री वरदा जाति निनामा भील निवासी पिपलोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

(वादीगण)

बनाम

1. स्व. चुन्नीलाल पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
2. स्व. भवानीशंकर पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
3. स्व. विश्वनाथ पुत्र श्री हेतलाल
4. स्व. गंगाशरण पुत्र हिम्मतरामजी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र श्री आन्नदराम
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र श्री आन्नदराम

समस्त जाति ब्राहमण निवासियान् बांसवाड़ा के वारिस

1–6/1 श्री अमीत व्यास पुत्र श्री चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहमण निवासी औदिच्यवाड़ा बांसवाड़ा

7. श्री तहसीलदार बांसवाड़ा

(प्रतिवादीगण)

उपस्थिति

1. श्री हीरालाल जैन — **अधिवक्ता वादीगण**
2. श्री राजकुमार जैन — **अधिवक्ता प्रतिवादी(1–6/1)**

वाद अंतर्गत धारा– 88 आर.टी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक:– 16.01.23

संक्षेप में वाद पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के कब्जे काश्त की आराजी खाता सं. 39 नया, 26 पुराना के खसरा नं 214 रकबा 2–17 बीघा, खसरा नं. 215 रकबा 06 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 3–03 बीघा ग्राम पिपलोद पटवार हल्का लोधा में स्थित है। उक्त आराजियात् पर वादीगण दीपा पुत्र जगमालिया के समय से ही काबिज काश्त है व लगान जमा करवा रहे हैं। प्रश्नगत आराजियात पर सम्वत् 1998 रियासत काल से दीपा पुत्र जगमालिया शिकमी काश्तकार रहा है। उक्त [illegible] धारा– 20 (1) आर. टी.एक्ट में कार्यवाही हुयी जिसमें प्रकरण संख्या 182/ [illegible] केन के मध्य आपसी तसफीया होने से वादीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदत्त [illegible] गये थे तत्पश्चात भी राजस्व अभिलेख में दीपा का नाम अंकित [illegible] समय से 50 वर्षों से काबिज काश्त है। प्रतिवादीगण के [illegible] 63 (4) आर.टी.एक्ट में प्राप्त हो जाते हैं। एवं वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी के पात्र है।

अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमा उक्त प्रश्नगत आराजी के खातेदार वादीगण को घोषित कर राजस्व अभिलेख में अंकन की डिक्री फरमावें।

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:38 IST
Reason: SelfAttested

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण कर जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण के सम्मन बाद तामील नहीं लौटने पर रजिस्टर्ड ऐडी सम्मन तलबाना के आदेश दिये गये परन्तु वादीगण ने सम्मन समाचार पत्र में प्रकाशित करने हेतु प्रार्थना–पत्र 09.12.05 को प्रस्तुत किया जिसे स्वीकार कर बाद प्रकाशन प्रति अखबार प्रस्तुत करने के आदेश हुये। दिनांक 16.01.06 को अमित कुमार व्यास ने प्रार्थना–पत्र बाबत् प्रतिवादीगणों की मृत्यु सूचना हेतु बिना दस्तावेजी साक्ष्य के प्रस्तुत किया जिस पर 23.02.08 को अमित व्यास पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी अमित व्यास द्वारा जरिये अधिवक्ता जवाब प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पर निम्न तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्यवादी पर नियत की गयी।

तनकी संख्या 1. आया वादीगण खाता संख्या 39 नया 26 पुराना के खेत सर्वे नं 214 रकबा 2 बीघा 17बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापदादा के समय से काबीज होकर काश्त कर रहे हैं व वर्तमान में कब्जा काश्त वादीगण का है व नियमानुसार लगान अदा कर रहे हैं।

(वादीगण)

तनकी संख्या 2.

आया वादग्रस्त खेत संवत् 1998 में वादीगण शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे हैं तथा धारा 20 (1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण संख्या 182/61 में आपसी तसफीया से वादीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुये किंतु रैवेन्यू रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। वादीगण बापदादा के वक्त से 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र हैं।

(वादीगण)

तनकी संख्या 3.

आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा 63 (4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके हैं व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकार है।

(वादीगण)

तनकी संख्या 4.

वाद का व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रेकॉर्ड देखने से उत्पन्न हुआ है।

(वादीगण)

तनकी संख्या 5.

आया सभी प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा करने के पूर्व हो चुकी है। प्रतिवादी नं 1 से 6 के उत्तराधिकारियों को पक्षकारान् बनाने से दावा काबिल खारजी है।

(प्रतिवादी)

तनकी संख्या 6.

आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं हुआ है अतः बापती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नहीं होते हैं।

(प्रतिवादी) 1–6/1

तनकी संख्या 7. अनुतोष

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:38 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री हीरालाल ने 24.09.12 को उपस्थिति दी। वादी संख्या 2 के मौत हो जाने पर केशवलाल को विधिक वारिसान के रूप में अभिलेख पर लिया गया। साक्ष्यवादी के रूप में केशवलाल नारायण, गोविन्द के शपथ –पत्र पेश हुये। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जिरह न किये जाने पर साक्ष्यवादी जिरह बंद की जाकर पत्रावली साक्ष्य प्रतिवादी मुकर्रर हुयी। साक्ष्य प्रतिवादी के रूप में अमित व्यास का शपथ–पत्र पेश हुआ। तत्पश्चात पत्रावली पर अंतिम बहस उभय पक्षकारान् सुनी गयी।

दौराने बहस विद्वान अभिभाषक वादीगण ने वाद–पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि वरदा शिकमी काश्तकार था जो कि प्रदर्श–8 में अंकित है। लगभग 50 वर्षों से हम काबिज काश्त हैं जिससे हमें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। अमित व्यास ने अपने जवाब में कोई खण्डन नहीं किया है। प्रदर्श– 10 के अनुसार रेवाशंकर ने हमारे विरुद्ध बाबत् मुआवजा वाद/प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिसकी डिक्री प्रदर्श–12 है। अतः वाद वादीगण स्वीकार कर खातेदार प्रश्नगत आराजियात पर घोषित कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन की डिक्री फरमावें। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी ने अपने जवाबदावें को ही बहस में शुमार करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का ध्यानपूर्वक आद्योपान्त अवलोकन कर गहन अध्ययन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर गौर किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों 2019 **RRT 1354, RAVINDER KAUR GUREWAL AND OTHERS V/S MANJIT KAUR AND OTHERS** का ससम्मान अवलोकन किया।

वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में **EX-1** नक्शा ट्रेस, **EX-3** जमाबंदी सम्वत् 2059–62 **EX-4** गिरदावरी **EX-5** गिरदावरी, **EX-6** गिरदावरी, **EX-7** गिरदावरी सम्वत् 2018–21, **EX-8** सेटलमेंट पर्चा, **EX-9** गिरदावरी, **EX-10 SDO COURT** धारा–20 (1) की आदेशिका, **EX-11** प्रपत्र–अ **EX-12** डिक्री, **EX-2A** वसीयतनामा प्रस्तुत किये गये। प्रतिवादीगण की ओर से कोई भी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली पर निर्णय हम तनकीवार करना उचित समझते हैं।

<u>तनकी संख्या 1.</u>

"आया वादीगण खाता संख्या 39 नया, 26 पुराना के खेत सर्वे नं 214 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम पिपलोद पर वादीगण बापदादा के समय काबिज होकर काश्त कर रहे हैं व वर्तमान कब्जा–काश्त वादीगण का है व नियमानुसार लगान अदा कर रहे है।"

उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर था प्रदर्श–1 नक्शा ट्रेस, खसरा नं. 214, 215 प्रदर्श–3 जमाबंदी पिपलोद संवत् 2059–62, प्रदर्श–4 गिरदावरी संवत् 2059 में कही भी वादीगण/बापदादा के नाम अ[illegible] प्रदर्श[illegible] गिरदावरी संवत् 2010–14 में खसरा नंबर 214 व 215 कॉलम संख्या 6 में [illegible]क [illegible] नाम चन्नीलाल व उपकृषक दीपा वल्द जगमालिया अंकित हैं। प्रदर्श–6 खसरा गिरद[illegible] संवत् 2014–17 के कॉलम 6 में केवल चुनीलाल का नाम अंकित है। [illegible] 2018–21 में खसरा नंबर 214 का ही उल्लेख होकर चु[illegible] संख्या 6 में अंकित है। प्रदर्श 8 जो कि मूल प्रतिलिपि न होकर हस्तलिखित है में रैयत पट्टेदार चुन्नीलाल व शिकमी दीपा वल्द जगमालिया अंकित है। प्रदर्श–9 खसरा गिरदावरी सम्वत् 2022–25, 2026–29, 2030–33 में खातेदार चुन्नीलाल का ही नाम अंकित है। प्रदर्श 10, 11, 12 के अनुसार रेवाशंकर ने मुआवजे बाबत् प्रार्थना–पत्र पेश किया और उसके पक्ष में डिक्री हुयी परन्तु डिक्री के अनुसार मुआवजे को अदायगी के कोई दस्तावेज वादीगण द्वारा पेश नहीं किये गये। साथ

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

ही प्रश्नगत आराजी की लगान अदायगी की कोई रसीद भी पेश नहीं की जिसको वादी केशवलाल ने जिरह में स्वीकार किया है।

उक्त विवेचनानुसार तनकी संख्या 1 आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में इस प्रकार निर्णित की जाती है कि वादीगण खसरा गिरदावरी अनुसार सम्वत् 2022 से पूर्व काश्तरत थे।

तनकी संख्या 2.

"आया वादीगण वादग्रस्त खेत सम्वत् 1998 में शिकमी काश्तकार होकर काबिज रहे हैं। तथा धारा 20 (1) आर.टी.एक्ट में प्रकरण संख्या 182/61 में आपसी तसफीया से वादीगण के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदत्त हुये किन्तु रेवेन्यू रेकॉर्ड में इन्द्राज नहीं हुआ। वादीगण के बापदादा के वक्त से 50 वर्षों से अधिक समय से काबिज होने के कारण खातेदार घोषित होने के पात्र है।"

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था वादीगण की ओर से प्रदर्श–10,11,12 उपखण्ड अधिकारी कार्यालय के आदेशिका प्रपत्र–अ, व डिक्री प्रस्तुत की जिससे दीपा वल्द जगमालिया का शिकमी होना प्रमाणित हैं उक्तानुसार तनकी संख्या 2 भी आंशिक रूप से वादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 3.

"आया प्रतिवादीगण के खातेदारी अधिकार धारा–63 (4) आर.टी.एक्ट में समाप्त हो चुके हैं व वादीगण प्रतिकूल कब्जे के आधार पर भी खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी है।"

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण पर था।

वादीगण ने इस तनकी को सिद्ध करने हेतु न्यायिक दृष्टान्त 2019 (2) RRT 1354 पेश किया। चूंकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार दिये जाने के प्रावधानों का उल्लेख नहीं है। उक्त दृष्टान्त हस्तगत प्रकरण में चस्पा नहीं होता है। खातेदारी अधिकार 63 (4) RTA में समाप्त हो जाने को प्रमाणित करने के संबंध में वादीगण ने कब्जा प्राप्त करने का कोई साक्ष्य मुआवजे की राशि चुकाने की रसीद, लगान की रसीद इत्यादि पेश नहीं की।

अतः तनकी संख्या 3 वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 4.

"वाद का व्यवहार कारण वादीगण द्वारा जून 2004 पटवारी रेकॉर्ड देखने से उत्पन्न हुआ।"

उक्त तनकी को प्रमाणित करने का भार वादीगण पर

इस तनकी को सिद्ध करने हेतु वादीगण द्वारा जून 2004 में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जो प्रश्नगत आराजियात से संबंधित हो।

अतः यह तनकी वादीगण के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 5.

"आया सभी प्रतिवादीगण की मृत्यु दावा करने से पूर्व हो चुकी थी। प्रतिवादी नं.1 से 6 के उतराधिकारियों को पक्षकार न बनाने से दावा काबिज खारजी है।"

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:38 IST
Reason: SelfAttested

उक्त तनकी को प्रतिवादी को प्रमाणित करना था।

प्रतिवादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की मृत्यु को प्रमाणित करने की, मृत्यु दावा संस्थित करने से पूर्व हुयी अथवा बाद में, कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया तथा इनके विधिक वारिसान कौन है इसका भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 6.

"आया अमित कुमार का जन्म भवानीशंकर के जीवनकाल में नहीं हुआ है अतः बपौती जायदाद में उसके अधिकार उत्पन्न नहीं होते है।"

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी ने अमित कुमार के जन्म के एवं मृत प्रतिवादी (1–6) संबंध में भी कोई प्रमाणिक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये।

अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरुद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 7. अनुतोष

उक्त तनकी का निर्णय समग्र विवेचना बाद किया जायेगा।

तनकीवार निर्णय उपरान्त समग्र रूप से जाहिर होता है कि मूल पुरुष दीपा वल्द जगमालिया शिकमी काश्तकार था तथा धारा– 20 (1) आर.टी.एक्ट में वादी के पिता को खातेदारी अधिकार प्रदान हो चुके थे। वादी द्वारा प्रस्तुत प्रलेखीय साक्ष्यों तथा मौखिक साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

निष्कर्षतः उक्त समग्र विवेचना एवं हस्तगत प्रकरण के गुणावगुण के आधार पर विचार करने के उपरान्त एवं उपखण्ड अधिकारी बांसवाड़ा द्वारा निर्णित प्रकरण संख्या 182/61 धारा– 20 (1) आर.टी.एक्ट के आधार पर स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 39 नया 26 पुराना में खसरा नंबर 214 रकबा 02–17 बीघा तथा खसरा नंबर 215 रकबा 06 बिस्वा ग्राम पिपलोद पटवार मण्डल लोधा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय मय डिक्री की सत्यप्रति तहसीलदार बांसवाड़ा को राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हेतु प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 16:42:38 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

डिक्री व मुकदमे की इब्तजाई

(आ. 20 नियम 17 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी, मुकाम : बांसवाडा व इजलास : प्रकाश चन्द्र रेगर(आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 90/2004

उनवान मुकदमा

1. वरदा पुत्र दीपा जाति भील निवासी पिपलोद व अन्य
2. स्व. खातु पुत्र दीपा जाति भी निवासी पिपलोद के वारिस केशवलाल पिता श्री वरदा जाति निनामा भील निवासी पिपलोद तहसील व जिला बांसवाड़ा (राज.)

(वादीगण)

बनाम

1. स्व. चुन्नीलाल पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
2. स्व. भवानीशंकर पुत्र श्री प्रभुलाल चौबीसा
3. स्व. विश्वनाथ पुत्र श्री हेतलाल
4. स्व. गंगाशरण हिम्मतराम जी
5. स्व. गौरीशंकर पुत्र श्री आन्नदराम
6. स्व. रेवाशंकर पुत्र श्री आन्नदराम

समस्त जाति ब्राहमण निवासियान् बांसवाड़ा के वारिस

1-6/1 श्री अमीत व्यास पुत्र श्री चन्द्रशेखर व्यास जाति ब्राहमण निवासी औदिच्यवाड़ा बांसवाड़ा

7. तहसीलदार बांसवाड़ा

(प्रतिवादीगण)

दावा अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांकः 16/01/2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है। वाद वादी स्वीकार किया जाकर प्रश्नगत आराजी खाता संख्या 39 नया 26 पुराना में खसरा नंबर 214 रकबा 02-17 बीघा तथा खसरा नंबर 215 रकबा 06 बिस्वा ग्राम पिपलोद पटवार मण्डल लोधा पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाता है। इस अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। इस आशय की डिकी जारी की जाती है।

नोज शून्य मुबलिग शून्य बाबत् शून्य खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह शून्य प्रतिशत सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक शून्य का अदा करे।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत के आज दिनांक 16.01.23 को जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:38 IST
Reason: SelfAttested

(प्रकाश चन्द्र रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

मुदई	रूपया पैसा	मुद्ववायलह	रूपया पैसा
स्टाप की अरजी दावा	शून्य	स्टाम्प वकालतनामा	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य
स्टाम्प वहज सबुत	शून्य	मेहनतनामा वकील	शून्य
मेहनतनामा वकील	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य
बबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	मुतफरीक	शून्य
मुतफरीक	शून्य		शून्य
कुल	शून्य	कुल	शून्य

उपखण्ड अधिकारी
बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Regar
Date: 2023.01.25 15:42:38 IST
Reason: SelfAttested